①

B.A – part – III
paper – VIII (special paper)
(अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठन)
International Law and organisation.

Topic – "Sources of International – Law"
(अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा – विधि के स्रोत)

Dr. Dhananjay Jha.
Assistant professor
(Guest faculty | part time)
Deptt of Political science
L.S. College, Muzaffarpur
Mob- 8210688019.

अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा विधि के स्रोत :⟹

पिछली कक्षा में हमलोग प्रसिद्ध विद्वान एवं कानूनविद् स्टार्क (Starke) महोदय के द्वारा बतलाए गये अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चार स्रोत – ① रीति-रिवाज अथवा प्रथाएं (Customs) ② सन्धियाँ (Treaties) ③ पंच-निर्णय एवं ④ कानूनवेत्ताओं / विधिवेत्ताओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ एवं प्रलेख के बारे में अध्ययन किये थे।

आज की कक्षा में हमलोग अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि (परिनियम) → (Statute) के अनुच्छेद 38 में वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद – 38 में इसके निम्नांकित स्रोतों की चर्चा की गई है —

① सामान्य या विशेष अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (General or Special International Conventions)

② अन्तर्राष्ट्रीय रीति – रिवाज (International Customs)

③ कानून के ऐसे सामान्य सिद्धान्त जिनको सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया हो (General principles of Law recognised by civilized Nations)

Scanned with CamScanner

(2) (घ) अनुच्छेद 59 के अनुसार किये गये न्यायिक निर्णय (Judicial decisions)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के और भी अन्य स्रोतों की चर्चा हमलोग निम्नांकित रूप में कर सकते हैं —

- (i) रीति-रिवाज या रूढ़ियाँ (Customs)
- (ii) सन्धियाँ (Treaties)
- (iii) कानून के सामान्य सिद्धान्त (General principles of law)
- (iv) न्यायालयों के निर्णय (Judicial decisions)
- (v) विद्वान लेखकों के ग्रन्थ (writings of publicists)
- (vi) अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार (International Comity) या अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य
- (vii) तर्कशक्ति या विवेक
- (viii) अन्तर्राष्ट्रीय राजपत्र / अन्तर्राज्यीय राजपत्र (state papers)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के प्रयोग :⟹

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के प्रयोग को महत्व की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि (परिनियम – Statute) – 38 में निम्नांकित क्रम में रखा गया है —

- (अ) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ (International Treaties)
- (ब) रीति-रिवाज अथवा रूढ़ियाँ / प्रथाएँ (Customs)
- (स) सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य नियम।
- (द) न्यायालयों के निर्णय तथा कानूनवेत्ताओं एवं भाष्यकारों के मत।

Scanned with CamScanner

(3) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि/परिनियम (Statute) -38 के तहत सन्धियों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अभाव में न्यायालय उस विषय से सम्बन्धित रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं को लागू करता है। यदि किसी मामले में न तो सन्धियाँ उपलब्ध हैं और न ही प्रथाएँ तब न्यायालय उस मामले में सभ्य राष्ट्रों (civilized Nations) द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य नियमों द्वारा सम्बन्धित मामले पर अपना निर्णय देता है। यदि कानून के सामान्य नियमों का भी अभाव पाया जाता हो तब वैसी स्थिति में न्यायालय कानून वेत्ताओं एवं ग्रन्थकारों/टीकाकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देता है।

यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि किसी विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि कोई नियम प्रतिपादित करती है तथा वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज व प्रथाएँ भी विद्यमान हैं तो वैसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि द्वारा प्रतिपादित नियम ही अधिक मान्य होंगे क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि/परिनियम (Statute) 38 के अन्तर्गत वर्णित स्रोतों के क्रम में इसका क्रम प्रथम है। यही नियम अन्य स्रोतों के सम्बन्ध में भी मान्य होगा अर्थात् क्रमानुसार ही इनकी मान्यता होगी। परन्तु विद्वानों एवं न्यायालय के अभिमत/विचार इसके विपरीत हैं। मानली हडसन ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अनुच्छेद 38 ने कोई अटल क्रम स्थापित नहीं किया है। उदाहरण स्वरूप निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह अभिमत/विचार प्रकट किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत अधिक्रमानुक्रम/पदसोपानिक (Hierarchical) नहीं हैं वरन् आवश्यक तौर पर एक-दूसरे के पूरक तथा अन्तःसम्बन्धित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों में कुछ अन्य स्रोतों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें तर्क एवं विवेक तथा नीति और सौजन्य उल्लेखनीय हैं।

Scanned with CamScanner

(4) ओपेनहीम, हॉल, फिलीमोर इत्यादि विद्वान सौहार्द्र अथवा सौजन्य (Comity) को भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत मानते हैं।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ये विविध स्रोत परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं। किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद के निर्णय में प्रत्येक स्रोत से यथासम्भव कानून की खोज करने का प्रयास किया जाता है। स्टार्क ने ठीक ही लिखा है कि "न्यायिक निर्णय में यह विभिन्न स्रोत सहयोगी तत्व होते हैं। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इनमें कौन मूल स्रोत है और कौन गौण।"

—×—